65/2023 वरधीचन्द बनाम सुरेश कुमार वगैरह

05.11.024	पत्रावली पेश। वकील उभय पक्ष उप.। वकील प्रार्थीगण ने अप्रार्थी संख्या 1 ता 6 की रजि.एडी.डिलवरी रिपोर्ट पेश की संलग्न पत्रावली की गई। अप्रार्थी संख्या 1 ने जवाब पेश नही किया अतः इनका जवाब बंद किया जाता है। वकील प्रार्थी ने प्रार्थना पत्र में वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए अपनी बहस में निवेदन किया कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्बर 1711 रकबा 1.24 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि में प्रार्थी संख्या 1 का 1/4 हिस्सा व प्रार्थी संख्या 2 का 1/4 हिस्सा आया हुआ है। वादग्रस्त आराजी प्रार्थी संख्या 1 वरधीचंद प्रार्थी संख्या 2 हिमांशु संघवी के पिता सावंलचन्द ने अहमदखां पुत्र बादखां से जरिये बैचान दस्तावेज बही संख्या 1 जिल्द संख्या 148 सिलसिला नम्बर 346/99 सफा नम्बर 170 दिनांक 29.07.1999 को मौल खरीद कर कब्जा प्राप्त किया था। इसी अनसार खरीद से आज दिन तक शांति पूर्वक कब्जा काश्त चला रहा है। मुझ प्रार्थी हिमाशुं संघवी के पिता सांवलचंद को दान करने के बाद मेरे नाम से खातेदारी दर्ज की गई। वादग्रस्त आराजी में स्थित हम प्रार्थीगण के बंट व कब्जे काश्त की भूमि का हम प्रार्थीगण सदैव राज्य सरकार को लगान अदा करते आ रहे है। अप्रार्थीगण को वादग्रस्त आराजी का मौके व कब्जे काश्त के अनुसार बंटवाड़ा करवाने का निवेदन किया तो अप्रार्थीगण टालमटोल करने लगे तथा अप्रार्थी संख्या 1 ने ऐलानियां धमकी दी कि मैं तुम्हारे कब्जे काश्त की भूमि में जबरन कब्जा कर तुम्हें डण्डे के बल बाहर खदेड़ दूगां तथा भूमि आगे किसी अजनबी व्यक्ति को बैचान कर दूंगा। प्रार्थीगण के उसके हक हिस्से से बेदखल करने पर आमदा है। अप्रार्थीगण को नही रोका गया तो जिससे प्रार्थीगण अपने हक हिस्से से वंचित हो जाएगी। ऐसी सुरत में अप्रार्थीगण को मूलवाद ताफैसला तक अन्तरिम अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जाना न्याय संगत है। हमनें वकील प्रार्थीगण की एक पक्षीय बहस पर मनन किया व पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेज का अध्ययन व अवलोकन किया। वादग्रस्त आराजी प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण की संयुक्त खातेदारी होना प्रकट होता है। प्रकरण में प्रथम दृश्टया मामला व सुविधा का संतुलन प्रार्थीगण के पक्ष में प्रतीत होता है। अतः न्यायहित में प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर अप्रार्थीगण के विरूद्व अंतिम रूप से पुख्ता किया जाकर इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा अप्रार्थीगण के विरूद्व मूल वाद ताफैसला जारी की जाती है कि मौजा सांचौर पटवार हल्का सांचौर तहसील सांचौर के खेत खसरा नम्ब[illegible]कबा 1.24 हैक्टयर व खसरा नम्बर 1710 रकबा 0.01 हैक्टयर भूमि [illegible] राजस्व रेकर्ड की यथास्थित बनाए रखे। पत्रावली फैसल [illegible]मार होकर दाखिल द[illegible] हो एवं नम्बर से कम। सहायक कलेक्टर, सांचौर (उपखण्ड अधिकारी, सांचौर)

Signature Not Verified
Digitally signed by Pramod Kumar
Date: 2024.11.12 17:29:07 IST
Reason: SelfAttested

Scanned with OKEN Scanner